



Ref: KL/SEC/2022-23/64

Date: 24th August, 2022

To,
The Manager- Listing
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400 051

NSE Symbol: KAMDHENU

To,
The Manager- Listing
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001

BSE Scrip Code: 532741

Sub: Copies of Newspaper Advertisement.

Ref: Regulation 30, 42 and 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

Dear Sir/ Madam,

In continuation to our earlier letter no. KL/SEC/2022-23/64 dated 22nd August, 2022, wherein it was informed that the Company has fixed the Record Date as Wednesday, 7th September, 2022, for the purpose of determining the eligibility of the Equity Shareholders of Kamdhenu Limited ('the Company'), to whom the fully paid-up Equity Shares of Rs. 5/- each, of Kamdhenu Ventures Limited (Resulting Company No. 1) will be issued and allotted in consideration for Demerger of Paint Division of Kamdhenu Limited, the Company has published the notice of Record Date in following newspaper on 24th August, 2022.

Newspaper	Edition	Language
Financial Express	All Edition (India)	English
Jansatta	Delhi NCR	Hindi

Copies of advertisement published in above newspapers are enclosed herewith.

We request you to kindly take the same on records.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Kamdhenu Limited

Khem Chand

**Khem Chand,
Company Secretary & Compliance Officer**

Encl.: as above.



खबरों में शहर

सत्येंद्र जैन की पत्नी को मिली नियमित जमानत
जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

दिल्ली की एक अदालत ने धनशोधन से जुड़े एक मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को मंगलवार को नियमित जमानत दे दी। उनके वकील ने बताया कि विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आरोपी और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उन्हें नियमित जमानत दे दी। पहले पूनम जैन को अंतरिम जमानत मिली हुई थी। उन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था।

जैन के वकील मोहम्मद इरशाद ने बताया कि अदालत ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत सुनवाई की अगली तारीख 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी। इस मामले में समन जारी होने पर पहले पूनम जैन के खिलाफ समन जारी होने पर वे अदालत में पेश हुई थीं और उनकी नियमित जमानत याचिका पर फैसला होने तक अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने यह कहते हुए पूनम जैन को अंतरिम जमानत दी थी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है और आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।

एनडीएमसी आबकारी नीति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएगी
नई दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा)।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) दिल्ली सरकार की अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति 2021-22 के खिलाफ परिषद की बैठक में 24 अगस्त को निंदा प्रस्ताव लाएगी। अधिकारियों ने बताया कि एनडीएमसी के सदस्य कुलजीत सिंह चहल यह प्रस्ताव पेश करेंगे और परिषद आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं पर चर्चा करेगी। उन्होंने बताया कि विरासती गोल मार्केट भवन को संस्थालय में बदलने के लिए उसके उन्मूलन और नवीनीकरण को भी बैठक के एजेंडे में शामिल किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, इस नगर निकाय एक प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। चहल ने कहा, "हम परिषद की बैठक में आबकारी नीति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से स्पष्टीकरण मांगेंगे।" उन्होंने कहा, "केजरीवाल नई दिल्ली क्षेत्र से विधायक हैं और एनडीएमसी के सदस्य भी हैं, इसलिए उन्हें कल (बुधवार) की बैठक में हिस्सा लेना चाहिए और आबकारी नीति 2021-22 के माध्यम से उनकी सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में जवाब देना चाहिए।" दिल्ली में आबकारी नीति को लागू करने में कथित अनियमितता के सिलसिले में सीबीआई की ओर से 15 लोगों और संस्थाओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है।

महंगाई के खिलाफ रैली को लेकर कांग्रेस ने की चर्चा
जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने चार सितंबर को महंगाई के खिलाफ होने वाली रैली के आयोजन की तैयारियां के लिए "चलो रामलीला मैदान" नारे के साथ मंगलवार को दिल्ली कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में ली। कार्यकारिणी की बैठक में देश सहित दिल्ली भर में बढ़ती महंगाई पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी व मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार लड़ रही है। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि सांसद राहुल की अध्यक्षता में चार सितंबर को रामलीला मैदान, दिल्ली में होने वाली महंगाई पर हल्ला बोल रैली में सभी वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक, सभी प्रदेशों से संगठन प्रशासकीय व कांग्रेस कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। हल्ला बोल रैली की तैयारियों के लिए दिल्ली कांग्रेस जिलावार चोपाल में आयोजित कर महंगाई पर चर्चा की जा रही है, मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों और महंगाई से संबंधित पत्रक बाजारों में विक्रेताओं व ग्राहकों से चर्चा करके बांटे जा रहे हैं और स्थानीय लोगों के साथ महंगाई पर चर्चा की जा रही है। महंगाई के कारण बढ़ाहल हो चुकी लोगों की आर्थिक दुश्शा पर भी चर्चा कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं।

कोर्ट की फटकार
अवरोधक लगाने को लेकर पुलिस को आड़े हाथ लिया, कहा

सड़कें अवरुद्ध करने के लिए हैं?

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सड़कों पर अवरोध और यातायात जाम की समस्या पैदा करने वाले मानव रहित अवरोधक लगाने के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस को आड़े हाथ लिया। अदालत ने एक पुलिस अधिकारी को रफ्त के साथ तलब भी किया। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीश दयाल को पीठ ने कहा-ये सब क्या है। सड़कें परिवहन के लिए होती हैं या फिर इस तरह से अवरुद्ध किए जाने के वास्ते अदालत एक

दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया

शाहीन बाग प्रदर्शन स्वतंत्र आंदोलन नहीं था

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को अदालत से कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में यहाँ शाहीनबाग में हुआ प्रदर्शन स्वाभाविक या कोई स्वतंत्र आंदोलन नहीं था। उसने कहा कि शाहीन बाग प्रकरण के पीछे पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ इंडिया (एसडीपीआई) थे। कुछ लोग विमर्श रचने की चेष्टा कर रहे थे और उन्होंने लोगों को कुछ खास स्थानों पर पहुँचाया था। पुलिस ने फरवरी, 2020 में यहाँ हुए दंगे के पीछे की



फाइल
कथित साजिश के संबंध में दर्ज यूएपीए मामले के सिलसिले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के विद्यार्थी उमर खालिद की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए यह बात कही। विशेष सरकारी वकील अमित प्रसाद ने दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

मुद्दल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ से कहा कि शाहीन बाग के पीछे पीएफआइ और एसडीपीआई था। बड़े षड्यंत्रकर्ताओं में दृश्य एवं अदृश्य तत्व थे। उनमें एक अदृश्य षड्यंत्रकर्ता पीएफआइ था। फरवरी 2020 में हुए दंगे में कथित रूप से 'षड्यंत्रकर्ता' होने को लेकर खालिद एवं शरजौल इमाम एवं कई अन्य के विरुद्ध अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम एवं भारदंड की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी को लेकर हिंसा फैली थी जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से अधिक अन्य घायल हो गए थे।

दिल्ली में कोरोना के 959 मामले, नौ मरीजों की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

दिल्ली में मंगलवार को कोरोना संक्रमण के 959 नए मामले सामने आए, वहीं नौ मरीजों की मौत हो गई। चौबीस घंटे की संक्रमण दर 6.14 फीसद रही। सोमवार को संक्रमण के 625 नए मामले

'बाड़ी कैमरों' का नवीनतम संस्करण खरीदने की योजना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

दिल्ली यातायात पुलिस बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए 'बाड़ी कैमरों' का नवीनतम संस्करण खरीदने की योजना बना रही है। अधिकारियों ने कहा कि यातायात इकाई में पहले से ही 400 से अधिक बाड़ी कैमरे उपलब्ध हैं और विभाग

को ऐसे लगभग दो हजार और उपकरणों की आवश्यकता है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक खरीद प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है। समय आने पर बाड़ी कैमरा के उपयोग को बढ़ाएंगे। ऐसे उपकरणों का भी प्रयास कर रहे हैं, जिससे शहर में यातायात की स्थिति का सजीव प्रसारण देख सकें। ऐसे उपकरणों के लिए भी निविदाएं आमंत्रित की हैं।

बिल्डर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, गंभीर रंगदारी के लिए दो की गोली मारकर हत्या सुग्री-झोपड़ी कालोनी में पहुंचे थे हमलावर, एक घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

बुराड़ी थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक बिल्डर पर मंगलवार को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे मेक्स अस्पताल भेज दिया गया है। कारोबारी की पहचान अमित

कारोबारी अमित गुप्ता (49) हैं। पुलिस को मौके से बदमाशों की मोटरसाइकिल और सात खोखे मिले हैं। गुप्ता (49) के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत नाजुक है। पुलिस को मौके से बदमाशों की मोटरसाइकिल और सात खोखे मिले हैं। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी

फुटेज से बदमाशों की पहचान कर रही है। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने बताया कि अमित गुप्ता, गुजरवाला टाउन में परिवार के साथ रहते हैं। अमित बिल्डर होने के अलावा संपत्ति का भी कारोबार का काम भी करते हैं और उनका दफ्तर बुराड़ी में लेबर चौक पर है। मंगलवार दोपहर करीब 12:15 बजे वह अपनी कार से दफ्तर पहुंचे ही थे तभी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोलियां चला दी।

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

मुंडका थाना क्षेत्र में स्थित सुग्री-झोपड़ी कालोनी में रंगदारी मांगने आए लोगों ने दो लोगों की गोलियां चलाकर हत्या कर दी। इनमें एक शख्स घायल हुआ है। मृतकों की पहचान जोगिंदर (42) और मंगल (60) के रूप में हुई है। वहीं, मोहन लाल घायल हैं। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि रंगदारी मांगने कुछ लोग सतीश के घर आए थे, जहां पहले से ही मंगल व

सतीश का घर पृष्ठने लगे। इस दौरान जोगिंदर ने कहा कि सतीश उसके पिता का नाम है। इतना सुनते ही बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। जोगिंदर के साथ उस समय मंगल और मोहन लाल भी थे जो उससे मिलने आए थे। उनको भी गोलियां लगी। बदमाश मौके से भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। उपायुक्त ने बताया कि जोगिंदर और मंगल बी-ब्लाक, जेजे कालोनी बक्करवाला में परिवार के साथ रहते थे। घायल मोहन लाल भी इसी इलाके में रहता है।

जेएनयू : मारपीट मामले में विद्यार्थी गुट व प्रशासन की ओर से मुकदमा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में सोमवार को विद्यार्थियों के एक गुट और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई झड़प के मामले में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दो प्राथमिकी दर्ज की। दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि एक मामला विद्यार्थियों की ओर से दूसरा विधि के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने दर्ज कराया है। विधि प्रशासन की ओर से कहा गया कि विद्यार्थियों ने दो सुरक्षा कर्मियों की बेरहमी से

पिटाई की गई है। उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो यहां के शैक्षणिक माहौल को खराब करने के दोषी पाए जाएंगे। इस संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने विधि पर प्रदर्शन के दौरान हमला करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि वे फेलोशिप जारी करने की मांग कर रहे थे, जो एक साल से नहीं मिली है। जिला पुलिस उपायुक्त मनोज सी ने मंगलवार को बताया कि जेएनयू छात्र निशानों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक और प्राथमिकी जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी नवीन की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है।

दिल्ली सरकार गिराने के लिए विधायकों को पांच करोड़ रुपए की पेशकश की गई : सौरभ भारद्वाज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 अगस्त।

आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को भाजपा पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का आरोप लगाया। 'आप' के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस प्रकार की कोशिश पहली बार नहीं की गई, बल्कि भाजपा ने दूसरी बार की है, लेकिन भाजपा के नेता अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, जैसे दूसरे राज्यों में



सरकार को गिराने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा का 'आप' पर आरोप दिल्ली में पूरी तरह से विफल हो गया। उन्होंने कांग्रेस के दौरान एक पुरानी आडियो भी चलाई, जिसमें सौदेबाजी का जिक्र किया जा रहा था। भारद्वाज ने यहां तक

आरोप लगाए कि पार्टी के विधायकों को पांच-पांच करोड़ का प्रलोभन दिया गया और उन्हें खरीदने की कोशिश की गई। भाजपा के लोगों ने दिल्ली में दूसरे नंबर के मंत्री मनीष सिसोदिया को पहले स्कूलों के निर्माण में गड़बड़ी करने का आरोप लगाकर डराने-धमकाने की कोशिश की, लेकिन जब वे सफल नहीं हुए तो आबकारी नीति को लेकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई और ईडी का डर दिखाया जा रहा है, लेकिन भाजपा शायद भूल गई है कि मनीष सिसोदिया लड़ने वाले इंसान हैं।



'आप' के कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल

नई दिल्ली, 23 अगस्त। आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा जोड़े जाने के प्रयासों के आरोपों के बीच मंगलवार को यहां कई 'आप' कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने

कहा कि आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में आबकारी नीति में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के विरोध में पार्टी छोड़ी है। आदेश गुप्ता ने कहा कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के 'आप' प्रभारी चंद्रकेतु मिश्रा समेत कई पदाधिकारी भाजपा में शामिल हुए। (जर्स)

KAMDHENU LIMITED
CIN:L27101HR1994PLC092205
Regd. Office: 2nd Floor, Tower A, Building No. 9, DLF Cyber City, Phase-III, Gurugram (Haryana)-122002
Ph.: 91-124-4604500 Email: kamdhenu@kamdhenulimited.com
Website: www.kamdhenulimited.com

NOTICE OF RECORD DATE

Scheme of Arrangement of Kamdhenu Concast Limited, Kamdhenu Overseas Limited, Kamdhenu Paint Industries Limited, Kamdhenu Infradevelopers Limited, Kamdhenu Nutrients Private Limited, Kay2 Steel Limited, Tiptop Promoters Private Limited (Transferor Companies No. 1 to 7, respectively) Kamdhenu Limited ("the Transferee Company or the Company") Kamdhenu Ventures Limited (the Resulting Company No. 1) and Kamdhenu Colour and Coatings Limited (the Resulting Company No. 2) ('Scheme of Arrangement')

With reference to the Clause 3.9 of Part 3 of the Scheme of Arrangement as approved by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench vide its order dated 3rd June, 2022 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, **Wednesday, 7th September, 2022** has been fixed as the Record Date for the purpose of determining shareholders of the Company, eligible to receive Equity Shares of Kamdhenu Ventures Limited (Resulting Company No. 1) in consideration of the demerger of the Paint Division of the Company.

Type of Securities	Date(s) of Record Date	Purpose	Ratio
Equity Shares	Wednesday, 7th September, 2022	Allotment of Equity Shares as consideration for demerger of Paint Division pursuant to the Scheme of Arrangement.	1:1 (i.e 1 (one) Equity Share of Rs. 5/- each of the Kamdhenu Ventures Limited, for every 1 (one) Equity Share of Rs.10/- each held in Kamdhenu Limited).

The Equity Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Members and records of depositories as a member of the Company as on the record date shall be entitled for the allotment of equity shares of Kamdhenu Ventures Limited, in the ratio of 1 (one) Equity Share of Rs. 5/- each of the Kamdhenu Ventures Limited, for every 1 (one) Equity Share of Rs. 10/- each held in Kamdhenu Limited.

Subsequent to the allotment of Equity Shares, Kamdhenu Ventures Limited would proceed ahead for necessary actions and steps for listing of its equity shares on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

For Kamdhenu Limited,
Sd/-
Khem Chand
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: FCS 10065

Date: 22-08-2022
Place: Gurugram

नियुक्तियां

ब्रिज एंड रूफ क. (इंडिया) लि.
(आयुर्विज्ञान का उद्योग)
CIN No. U27310WB1970GU003641
विद्यमान सदस्य हैं: ब्रिज एंड रूफ-आरबीआई-आईटी-एल-आरएल-2022/23

ब्रिज एंड रूफ क. (इंडिया) लि., भू-उद्योग-महाभद्र के अंतर्गत ब्रिज-1 मिने-एल-नियुक्तियों के लिए 5,000 कोड पर ब्रिज एंड रूफ के डल को-ऑपरेटिव प्रवर्तन में आयोजित कीये-वर्कशॉप के लिये भारतीय न्यायिक से अवेबल अवरॉपर है।

पद	इस पद के उद्देश्य	अवसर पर की जायेगी
प्रबंधक (युवा प्रबंधक/अधीक्षक) पदों की सं.: 1 (एक)	वेतन-रु. 7,00,000/- 2% - 2000000	को-ऑपरेटिव
सहायक प्रबंधक (उप-प्रबंधक/अधीक्षक) पदों की सं.: 1 (एक)	वेतन-रु. 5,00,000/- 3% - 1600000 (बर्ग्रेडि)	को-ऑपरेटिव
प्रबंधक (सहायक) पदों की सं.: 1 (एक)	वेतन-रु. 8,00,000/- 2% - 2000000	को-ऑपरेटिव

अधिक विवरणों के लिये कृपया 19.9.2022 को 5.30 बजे के बाद कम्पनी की वेबसाइट <http://www.bridgeroof.co.in> → Career देखें।
इना./-
ईटी (कोऑर्डिनेटर)



शुरुआत में पीठ ने देखा कि शाम के व्यस्त समय में पुलिसकर्मी सड़कों पर बैरिकेड लगाते हैं और यातायात नियंत्रण पर ध्यान दिए बिना एक तरफ खड़े रहते हैं। पीठ ने कहा-एक मानवरहित बैरिकेड भी एक बड़े यातायात जाम का कारण बनता है। आप क्या सभी मार्गों को अवरुद्ध कर-के यातायात का प्रबंधन करते हैं। अगर किसी को चिकित्सकीय इमरजेंसी है तो उसे पहले आधा घंटा उस रास्ते को पार करने में लगाना होगा और संभव है कि बीमार व्यक्ति समय पर अस्पताल न पहुंच पाए।

ऐसे मामले को सुनवाई कर रहा थी, जिसमें प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र का स्वतः संज्ञान लिया गया था। इस पत्र को बाद में दक्षिणी दिल्ली की कई सड़कों पर मानवरहित बैरिकेड लगाने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के सम्मुख लाया गया था।

